

उनवान मुकदमा

1. प्रवीण पिता श्री विठला जाति चमार आयु 48 वर्ष
2. रामा पिता श्री विठला जाति चमार आयु 46 वर्ष
3. कृष्ण पिता श्री विठला जाति चमार आयु 42 वर्ष
4. मुकेश पिता श्री विठला जाति चमार आयु 35 वर्ष
5. कमला पिता श्री विठला जाति चमार आयु 40 वर्ष
6. कमली बेवा श्री श्री विठला जाति चमार आयु 65 वर्ष
निवासीयान विनोद टॉकिज के पीछे, बाबा बस्ती बांसवाड़ा (राज.)

(वादीगण)

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता श्री कोदर जाति चमार आयु वयस्क निवासी विनोद टॉकिज के पीछे बाबा बस्ती बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार बांसवाड़ा।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति:- 1. श्री यशपाल गुप्ता
2. श्री हीरालाल जैन

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक:-07.02.2023

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोरडी पटवार हल्का घलकिया में स्थित कृषि भूमि खांता संख्या 422 नया 384 पुराना खं. न. 613 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 संयुक्त रूप से खातेदार होकर 1/2, 1/2, हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त प्रश्नगत आराजियात के संबंध में बाद सुनवाई प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार बांसवाड़ा से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों एवं प्रपत्रों अनुसार तलब की गयी।

तहसीलदार बांसवाड़ा से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री बंटवारा प्रस्ताव पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रारम्भिक डिक्री बंटवारा प्रस्ताव को अंतिम डिक्री निर्णित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। उभयपक्ष की सहमति उपरान्त तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा को अंतिम डिक्री के रूप में निर्णित की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)